480 दिन के लम्बे इन्तजार के बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा

पुराने कार्यकर्ताओं के स्थान पर नए लोगों को मिली जगह

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश भाजपा ने लम्बे इन्जार के बाद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड के बनने के 480 दिन बाद प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की गई । इस कार्यकारिणी में कुल 34 नाम शामिल हैं।

- **कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव बनाए गए हैं।**
- **इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि मुख्य टीम में विधायक और सांसदों को शामिल नहीं किया है।**

कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सहकोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, आईटी व सोशल मीडिया प्रभारी सहित कार्यालय सचिव की घोषणा की गई है। इस कार्यकारिणी में दो विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है जबकि मुख्य टीम में विधायक व सांसदो को शामिल नही किया है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि विधायक और सांसदों को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दी जाएगी, जबकि प्रदेश की कार्यकारिणी में भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। हालांकि पिछली कार्यकारिणी में सांसद और विधायकों को प्रदेश टीम में शामिल किया गया था। प्रदेश भाजपा की इस नई टीम में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को शामिल किया है।

इस कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित तीनो केंद्रीय मन्त्रियों सहित कुछ संघ से जुड़े लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया है।

मदन राठौड़ की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए है। पहले 10 उपाध्यक्ष काम कर रहे थे। उपाध्यक्ष में 6 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। जिनमे पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी, बिहारीलाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू माईडा, अल्का मुन्दडा और सरिता गेना उपाध्यक्ष के रूप में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। वही नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, डॉ. ज्योति मिर्धा को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह मौजूदा कार्यकारिणी मे भी उपाध्यक्ष थे।

इसके साथ ही विधायक (तिजारा) बाबा बालकनाथ, सरदार अजयपाल सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व सांसद सीआर पाटिल और मोतीलाल मीणा को कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है।

मदन राठौड़ ने अपनी टीम में महामंत्रियों की संख्या भी कम की है। मौजूदा कार्यकारिणी में 5 महामंत्री काम कर रहे थे। नई कार्यकारिणी में 4 महामंत्री बनाए गए हैं।

इनमें भी पिछली कार्यकारिणी के महामंत्रियों में से केवल एक को रिपीट किया गया है। ये श्रवण सिंह बगड़ी हैं। चार को बाहर कर दिया गया है।

इनके अलावा कैलाश मेघवाल, भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री बनाया गया है। विधायक जितेन्द्र गोठवाल, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद संतोष अहलावत और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा को बाहर किया गया है।नई टीम में मौजूदा टीम में काम कर रहे नेताओं में कुछ को प्रमोट भी किया गया है।

मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेन्द्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है।

एससी मोर्चे के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को प्रमोट करके प्रदेश कार्यकारिणी में महामंत्री और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा, ओबीसी मोर्चा की टीम से सीताराम पोसवाल को प्रदेश मंत्री बनाकर प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी में मंत्री बनाया गया है।

भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाक़ात

जयपुर। प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने गुरूवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमओ में मुलाक़ात की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इन पदाधिकारियों में प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, मिथलेश गौतम एवं प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, अपूर्वा सिंह ,एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, प्रवक्ता स्टेफ़ी चौहान एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों से पार्टी को बूथ स्तर पर मज़बूती लेने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार की शानदार योजनाओं को लाभार्थियों और आमजन तक पहुंचाएं और इसकी कार्ययोजना बनाए। करीब 45मिनट की मुलाक़ात में मुख्यमंत्री ने सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से नियुक्त हुए पदाधिकारियों को आम कार्यकर्ता एवं आम जनता के बीच में रहने की सलाह भी दी।

लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर जवाब मांगा

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती में लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज कुमार सैन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 1 सितंबर, 2023 को कॉलेज शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की भर्ती निकाली थी। जिसके भर्ती विज्ञापन में शर्त रखी गई की शैक्षिणक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुआ या होने वाला अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे साक्षात्कार के समय संपूर्ण पात्रता अर्जित करने का साक्ष्य देना होगा। याचिका में कहा गया कि आवेदन करते समय याचिकाकर्ता अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला था और साक्षात्कार से पूर्व उसने तय संपर्ण पात्रता हासिल कर ली है। इसके बावजूद भी उसे साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया और चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ऐसे में उसे पात्र मानते हुए साक्षात्कार में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

भिवाड़ी में 32 और हनुमानगढ़ में 160 फ्लैट्स बनाएगा राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड

आवासन मंडल के सभी रिकॉर्ड तत्काल डिजिटलाइज़ करें : देबाशीष पृष्टि

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड दिसंबर माह में अरावली विहार, भिवाड़ी में 32 और डीटीओ, हनुमानगढ़ में 160 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाएगा। इसके साथ ही जयपुर के सेक्टर-22 प्रताप नगर में भी सामुदायिक केंद्र बनाया जायेगा।

- **जयपुर के प्रताप नगर-सेक्टर 22 में भी सामुदायिक केन्द्र बनाने का निर्णय हुआ**

इसकी जानकारी नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हाऊसिंग बोर्ड अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने दी है। उन्होंने गुरूवार को जयपुर स्थित आवासन मंडल मुख्यालय में परियोजना समिति की 175वीं बैठक ली, जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए।

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं हाऊसिंग बोर्ड अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने गुरूवार को परियोजना समिति की 175वीं बैठक ली।

मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने अफसरों को निर्देश दिए कि, राजस्थान आवासन मंडल के सभी अभिलेखों को चरणबद्ध तरीके से पूर्णत: डिजिटाइज करें। उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड से लेकर वर्तमान योजनाओं से जुड़े सभी दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित किया जाए, जिससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़े, अभिलेखों की खोज और सत्यापन में सरलता आए तथा सभी विभागीय गतिविधियों की गति में भी तेजी आए। डिजिटाइजेशन से भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड संबंधी विसंगतियों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और मंडल की कार्यशैली और अधिक सुचारु एवं तकनीक-आधारित बनेगी।

बैठक में अरावली विहार योजना, भिवाड़ी में उच्च आय वर्ग (जी प्लस8) के 32 फ्लैट्स की आवासीय योजना लाने का निर्णय लिया गया। इस स्कीम से अलवर, भिवाड़ी, तिजारा एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आवासीय विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार मण्डल की डीटीओ हनुमानगढ़ योजना में मध्यम आय वर्ग- के 160 फ्लैट्स के लिए भी मण्डल अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं समीपस्थ क्षेत्रों के मध्यम आय वर्ग के लोगों को आधुनिक फ्लैट उपलब्ध हो सकेगा। यह दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण दिसंबर माह में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्टर-22 प्रताप नगर, जयपुर में प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र के निर्माण को भी अनुमोदित किया गया, जिससे योजना के आवंटियों सहित आमजन को एक महत्वपूर्ण सामुदायिक सुविधा उपलब्ध होगी। यह केंद्र प्रताप नगर एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी आय वर्ग के निवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसका निर्माण कार्य जनवरी माह में शुरू किया जाएगा । परियोजना समिति की सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू बंसल ने मानचित्रों के माध्यम से सभी योजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और संबंधित जानकारियां साझा की। बैठक में मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव, टी.एस. मीणा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रिंकू बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बर्खास्तगी के खिलाफ विभागीय अपील 14 साल लंबित रखना दुखद

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी के बर्खास्तगी आदेश की विभागीय अपील को 14 साल में भी तय नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने जेवीवीएनएल को कहा है कि वह एक माह में अपील का निस्तारण करे। वहीं अदालत ने जेवीवीएनएल पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए दो सप्ताह में हर्जाना राशि याचिकाकर्ता को अदा करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश महेश कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक विधवा अपने पति की बर्खास्तगी के खिलाफ साल 2011 में पेश विभागीय अपील के निपटारे की प्रतीक्षा कर रही है।

24 तीर्थंकरों ने मानव जाति को दिखाया सही मार्ग : मुख्यमंत्री

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परम पूज्य सुंदर सागर महाराज ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हुए समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और करूणा का अद्भुत समन्वय है। हमारी सरकार सभी धर्मों के विकास और संरक्षण के लिए समर्पित है। उन्होंने आमजन से आव्हान किया कि वे जैन मुनियों के उपदेशों को न केवल सुने, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। शर्मा गुरूवार को सांगानेर कैम्प कार्यालय में आयोजित आचार्य सुंदर सागर महाराज की दिव्य देशना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस धर्म के 24 तीर्थंकरों ने समय-समय पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता 'अहिंसा परमो धर्म' है। ये एक वाक्य नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन दर्शन है। आज पूरी दुनिया हिंसा से जूझ रही है और जैन धर्म का यह संदेश वर्तमान परिवेश में और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी संतो की पद वंदना करते हुए उनका हाथ थामे एसएफएस मानसरोवर स्थित आदिनाथ मंदिर से सांगानेर कैम्प कार्यालय के कार्यक्रम में लेकर आए। इस दौरान मार्ग में पुष्प वर्षा एवं बैंड वादन कर उनका स्वागत-अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में शर्मा को 'मातृ भू सेवक' की मानद उपाधि से अलंकृत भी किया गया।

कांस्टेबल गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाडी टीम ने पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली-बहरोड के पुलिस कांस्टेबल प्रवीण बागोरिया को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी भिवाडी टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके भाई का पुत्र व पुत्री नांगल चौधरी से घर आ रहे थे। तब उनके आगे चल रही अन्य गाड़ी को ओवरटेक करते समय उसके खरोंच आ गई।

तीन साल वाले बीपीएड कोर्स को करने वाले पीटीआई भर्ती के लिए पात्र

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती-2018 से जुडे मामले में उन अभ्यर्थियों को भी पात्र माना है, जिन्होंने तीन साल वाला बीपीएड कोर्स कर रखा है।

इसके साथ ही अदालत ने मामले में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थियों को दो माह में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश विमला देवी व 6 अन्य अपीलों पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।अपील में अधिवक्ता आरडी मीणा और अधिवक्ता राजेन्द्र सोनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने साल 2018 में पीटीआई तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में आए थे, लेकिन उन्हें एक साल के बजाए तीन साल का बीपीएड योग्यता रखने के आधार पर चयन से बाहर कर दिया था। इस पर एकलपीठ में याचिका दायर की गई थी। जिसे एकलपीठ ने 2013 में खंडपीठ की ओर से दिए एक आदेश का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि साल 2014 में एनसीटीई ने एक परिपत्र जारी कर पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए तीन साल के बीपीएड पाठ्यक्रम करने वालों को भी पात्र माना है। इस परिपत्र में राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर संशोधन नहीं किया है और यह वर्तमान में भी प्रभावी है। अपील में कहा गया कि एनसीटीई शैक्षिणक पाठ्यक्रम तय करने की विशेषज्ञ और सर्वोच्च संस्था है। इसके अलावा एकलपीठ में सुनवाई के समय एनसीटीई ने अपने जवाब में याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए पात्र माना था। ऐसे में उन्हें पीटीआई तृतीय श्रेणी भर्ती-2018 में नियुक्ति दी जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 में तीन साल वाले बीपीएड योग्यता वालों को पीटीआई ग्रेड 3 के लिए पात्र नहीं माना गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर अपीलार्थियों को समस्त परिलाभ सहित दो माह में नियुक्ति देने को कहा है।

कॉमर्स कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया

जयपुर (कासं)। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉमर्स कॉलेज में गुरूवार को नवनिर्मित भवन "ब्लॉक बी" का लोकार्पण राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने किया। समारोह की शुरूआत अतिथि सत्कार, राष्ट्रगान एवं विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुई।

राज्यपाल ने कहा कि, शिक्षा में स्थापत्य कला का महत्व होता है। इस दृष्टि से वाणिज्य महाविद्यालय (कॉमर्स कॉलेज) के नवनिर्मित भवन का अत्यन्त महत्व है। वाणिज्य, व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें बैंकिग, वित्त, विज्ञापन, प्रबन्धन आदि आते हैं। वाणिज्य से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है तथा ध्यान से काम करने की आदत बनती है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर प्रकाश डाला तथा कहा कि 1835-36 में अंग्रजों द्वारा दी गयी शिक्षा नीति में बदलाव कर अब शिक्षा में भारतीयता पर जोर दिया जा रहा है।

विनोवा भावे का नामोल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी के साथ ही भारतीय शिक्षा नीति अपनानी चाहिए थी इसके साथ ही उन्होंने लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गयी शिक्षा नीति की आलोचना भी की। उन्होंने उद्बोधन में प्राचीन भारतीय शिक्षा केन्द्रों नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें अपने विश्वविद्यालय को इनसे भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। प्राचीन ज्ञान परम्परा पर बल देते हुए उन्होंने मनोज कुमार, अभिनीत फिल्म पूरब-पश्चिम के गाने "जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनियां को तब गिनती आयी" के माध्यम से कहा कि हमने अपनी संस्कृति और शिक्षा पद्धति से पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है।

पाक निवासी नकली नोट तस्कर को कारावास

जयपुर । एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने पाकिस्तान से नकली भारतीय मुद्रा लाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले पाक निवासी अभियुक्त रान सिंह को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर इस अभियुक्त पर तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक तेज प्रकाश ने बताया कि लैंड कस्टम स्टेशन, मुनाबाव, बाड़मेर के अधिकारियों से गोपनीय सूचना पर 16 मार्च, 2019 को थार लिंक एक्सप्रेस से भारत आते अभियुक्त को पकड़ा था। टीम को उसके कब्जे से 94 हजार रुपए के भारतीय नकली नोट मिले। वहीं टीम ने उससे एक मोबाइल व 2600 रुपए की पाकिस्तानी मुद्रा भी बरामद की। इस पर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि अभियुक्त 2015 में पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुआ था। इसके बाद वह अपने परिवार सहित टर्म वीजा पर आकर मोरबी में रहने लगा। इस दौरान ही अभियुक्त ने भारत थार लिंक एक्सप्रेस का उपयोग षड्यंत्र रचते हुए पाकिस्तान से भारत देश में नकली नोट लाने के लिए किया। पाकिस्तान में अभियुक्त दूसरे आरोपी कूपजी से मिला और उसने अभियुक्त को भारतीय नकली मुद्रा दी। जांच के बाद एनआईए ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले में आरोपी कूपजी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हैं ।

उर्वरकों की कालाबाजारी व अवैध भंडारण करने वालों के लाइसेंस रद्द करें : मुख्यमंत्री

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रबी सीजन - 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए तथा विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश से अन्य राज्यों में उर्वरक के परिगमन को रोकने के लिये सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाए। साथ ही, प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण के लिए समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। बैठक में बताया गया कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 1 अप्रेल 2025 से अब तक 11634 औचक निरीक्षण किए हैं। इसके अन्तर्गत कालाबाजारी के मामलों में 589 कारण बताओ नोटिस, 77 अनुज्ञापत्र निलंबन/निरस्तीकरण तथा 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

''सहकार गैलेरी'' में दिखेगी सहकारी आंदोलन यात्रा की आकर्षक झलक

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने गुरुवार को राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान (राइसेम) परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अंतर्गत स्थापित की गई सहकार गैलेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने गैलेरी का अवलोकन कर प्रदर्शित की गई जानकारी की सराहना की। सहकारिता विभाग द्वारा एनसीसीएफ के सहयोग से स्थापित की गई सहकार गैलेरी में सहकारी आन्दोलन की यात्रा को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया है।

- **सहकारी आन्दोलन की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को आकर्षक रूप में किया गया प्रदर्शित**

दक ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता की गौरवशाली यात्रा को दर्शाती यह गैलेरी आगन्तुकों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी। यहां प्रदर्शित सामग्री न केवल सहकारिता के इतिहास, उपलब्धियों और नवाचारों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे छोटे-छोटे सामूहिक प्रयासों से बड़े सामाजिक परिवर्तन संभव हैं। सहकार गैलेरी में सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को क्लिप बोर्ड्स, एक्रेलिक शीट्स, विनायल प्रिन्ट, फोटो फ्रेम्स एवं डिजिटल स्क्रीन्स के माध्यम से आकर्षक रूप में राजस्थानी संस्कृति की थीम पर प्रदर्शित किया गया है। गैलेरी के एक भाग में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का परिचय एवं सिद्धान्त, सहकारिता के सिद्धान्त एवं उद्देश्य तथा विशिष्ट व्यक्तियों के उद्धरणों को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह अन्य एक भाग में सहकारिता के उद्भव एवं विकास से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की गई है, जिसमें प्राचीन भारतीय लोकाचार में सहकारिता के बीज, विश्व में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, भारत में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ, राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता पश्चात् सहकारी विधि का विकास की जानकारी शामिल है।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकार गैलेरी का उद्घाटन करने के बाद इसका अवलोकन किया।

5.44 करोड़ की बकाया लीज प्रकरण में नीमराना डवलपर्स को जेडीए ट्रिब्यूनल से नहीं मिला स्थगन

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) ट्रिब्यूनल ने मैसर्स नीमराना डवलपर्स को 5.44 करोड़ रु. की बकाया लीज राशि जमा नहीं करवाने के मामले में अंतरिम स्टे देने से इनकार कर दिया है।

- **जयपुर विकास प्राधिकरण ने गत 14 नवंबर को बिल्डर को नोटिस थमाकर कुर्की की चेतावनी दी थी**

इस प्रकरण में बिल्डर की ओर से अधिवक्ता एस.एस.सोलंकी ने दलील दी थी कि, उनके मुवक्किल ने एयरपोर्ट प्लाजा में भूखंड संख्या 1 की 8236.47 वर्गमीटर जमीन जेडीए से नीलामी में खरीदी थी। इस जमीन पर बनाए गए 207 फ्लैट्स में से उसने 165 फ्लैट्स लोगों को बेच दिए हैं, 25 फ्लैट्स पर इंटीरियर का काम चल रहा है। ऐसे में उससे सिर्फ उन्हीं फ्लैट्स की लीज राशि वसूली जानी चाहिए, जो उसके पास बचे हुए है। परंतु गत 14 नवंबर 2025 को जेडीए ने डवलपर को नोटिस देकर 5.44 करोड़ रुपए की बकाया लीज राशि जमा करवाने का नोटिस दिया और संपत्ति कुर्क की चेतावनी दी। जबकि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग ने 19 फरवरी 2020 को आदेश जारी किया था कि, भवन निर्माता द्वारा फ्लैट्स को अलग-अलग लोगों को बेचने के बाद क्रेता द्वारा ही लीज राशि चुकायी जायेगी। बिल्डर ने वर्ष 2016 में भूखंड आवंटन से लेकर वर्ष 2021 तक की बकाया लीज राशि जेडीए को जमा करवा दी थी, परंतु जेडीए प्रशासन अब यह संपूर्ण राशि डवलपर से लेना चाहता है।

बिल्डर की इस दलील का विरोध करते हुए जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि, यह पूरी कार्रवाई भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 64-ए के तहत की जा रही है। ऐसी स्थिति में जेडीए ट्रिब्यूनल के पास हस्तगत मामले को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वहीं बिल्डर ने यह भी नहीं बताया है कि उसने 165 फ्लैट्स कब-कब और किस तारीख पर लोगों को बेचे है। ऐसे में क्रेताओं पर लीज राशि की गणना किस प्रकार हो सकेगी।

पूरे प्रकरण को सुनने के बाद जेडीए ट्रिब्यूनल ने इस मामले में बिल्डर को अंतरिम स्टे देने से इनकार कर दिया।